

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1201

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 25 नवंबर, 2019

04 अग्रहायण, 1941 (शक)

ऐतिहासिक इमारतों को होटल में बदलना

1201. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत पहचान की गई पुरातात्विक इमारतों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पुरातात्विक इमारतों को नष्ट कर दिया गया है और उनका होटल, क्लब, कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल के रूप में पुनर्निर्माण किया गया है;
- (ग) क्या सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत 3691 स्मारकों/स्थलों को केंद्रीय संरक्षित घोषित किया गया है और उनकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। स्मारकों/स्थलों को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : किसी भी केंद्रीय संरक्षित स्मारक से ऐसी किसी घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा में दिनांक 25.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की संख्या का सार

क्र .सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	129
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	द्रमण एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	203
9.	हरियाणा	91
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ शासित क्षेत्र)	56
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	506
14.	केरल	28
15.	लद्दाख (संघ शासित क्षेत्र)	14
16.	मध्य प्रदेश	292
17.	महाराष्ट्र	286
18.	मणिपुर	01
19.	मेघालय	08
20.	मिजोरम	01
21.	नागालैंड	04
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	174
23.	ओडिशा	80
24.	पुद्दुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	07
25.	पंजाब	33
26.	राजस्थान	163
27.	सिक्किम	03
28.	तेलंगाना	08
29.	तमिलनाडु	413
30.	त्रिपुरा	08
31.	उत्तर प्रदेश	745
32.	उत्तराखंड	42
33.	पश्चिम बंगाल	136
	कुल योग	3691